कार्यालय

✆ : 2511498

# कृषि उत्पादन मण्डी समिति,

मेरठ

पत्रांक/कृ. उ. म. स./ 202

दिनांक : 16.05.2026

आवश्यक सूचना

कृषि उत्पादन मण्डी समिति, मेरठ के नवीन मण्डी स्थल स्थित दिल्ली रोड़, मेरठ के परिसरों एवं अतिरिक्त फल सब्जी मण्डी लोहियानगर, हापुड़ रोड़, मेरठ में सफाई कार्यों हेतु निम्न मानकों के अनुसार सफाई कार्य किये जाने की निविदा/कुटेशन दिनांक 30.04.2026 को www.etender.up.nic.in आमन्त्रित की गई थी परन्तु आज दिनांक को किसी फर्म की बिड नहीं आई है जो कि उचित नहीं है। इसलिए निम्न टेण्टर की अवधि दिनांक 28.05.2026 ओर बढाई जाती है।

16.05.2026

सचिव

कृषि उत्पादन मण्डी समिति

मेरठ।

प्रतिलिपः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्भागीय उप निदेशक (प्रशा०/विप०) राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, मेरठ सम्भाग, मेरठ।
2. सम्भागीय लेखाधिकारी, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, मेरठ सम्भाग, मेरठ।
3. श्री धन सिहं, प्रधान लिपिक ई-टैण्डर वेबसाईट www.etender.up.nic.in पर अल्पकालीन ई- निविदा अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

16.05.2026

सचिव

कृषि उत्पादन मण्डी समिति

मेरठ।

# सफाई ठेके की सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि उत्पादन मण्डी समिति, दिल्ली रोड मेरठ एवं अतिरिक्त फल–सब्जी मण्डी लोहियानगर के परिसरों की सफाई का कार्य समिति द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों एवं अनुबन्ध के आधार पर दिनांक 31.03.2027 तक ठेका पद्धति पर कराना है, ई टैण्डरिंग के माध्यम से ऑनलाईन निविदा वेबसाईट www.etender.up.nic.in पर दिनांक 02.05.2026 से दिनांक 14.05.2026 (सांय 5.00 बजे) तक डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है। प्रत्येक निविदादाता को निविदा के साथ सफाई ठेके हेतु निर्धारित प्रतिभूति नवीन मण्डी स्थल दिल्ली रोड मेरठ के लिए रु0 150000/ एवं अतिरिक्त फल सब्जी परिसर लोहियानगर हापुड रोड मेरठ के लिए रू0 100000/ का बैंक ड्राफ्ट जो कृषि उत्पादन मण्डी समिति मेरठ के नाम देय हो, निविदा फार्म के साथ दिनांक 13.05.2026 की सांय 5 बजे तक मण्डी समिति मेरठ कार्यालय में मूलरूप में जमा कराते हुए वेबसाईट पर भी अपलोड कराना अनिवार्य होगा। निविदा फार्म मूल्य रू0 250/ एवं उस पर देय जी0एस0टी0 रू0 45/ कुल धनराशि रू0 295/ दिनांक 02.05.2026 से कार्यालय से प्राप्त कर निविदा भरी जा सकती है। प्राप्त निविदा दिनांक 15.05.2026 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दोपहर 02.00 बजे खोली जायेगी। ठेके से सम्बन्धित विस्तृत नियम एवं शर्तें कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखी एवं पढी जा सकती है।

(कुलदीप सैनी)
सचिव

(नवीन कुमार श्रीवास्तव)
नगर मजिस्ट्रेट/सभापति

कृषि उत्पादन मण्डी समिति मेरठ

**कार्यालय : कृषि उत्पादन मण्डी समिति, नवीन मण्डी स्थल, दिल्ली रोड, मेरठ।**

दिनांक : 30/4/2026

पत्रांक : कृ0उ0म0स0/2026-112

प्रतिलिपि :

1. कार्यालय नोटिस बोर्ड, नवीन मण्डी स्थल, दिल्ली रोड एवं अतिरिक्त फल सब्जी मण्डी स्थल, लोहियानगर, मेरठ।
2. नगर मजिस्ट्रेट/नगर पालिका कार्यालय, मेरठ पर चस्पा हेतु।
3. सम्भागीय उपदिनदेशक (प्रशा0/विप0) मण्डी परिषद, मेरठ।
4. उपनिदेशक (निर्माण) मण्डी परिषद, मेरठ।
5. विज्ञापन व्यवस्थापक, अमर उजाला एवं हिन्दुस्तान को इस आशय से कि कृपया उक्त का प्रकाशन अपने समाचार पत्र के आगामी अंक में न्यूनतम स्पेस में सरकारी दरों पर प्रकाशित करते हुए समाचार पत्र की दो प्रतियों सहित अपना बिल भुगतान हेतु कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सचिव
कृषि उत्पादन मण्डी समिति
मेरठ।

## सफाई ठेके हेतु शर्तें

01 सफाई ठेका अवधि ठेका स्वीकृत दिनांक से प्रारम्भ होकर 31.03.2027 को समाप्त होगी। परन्तु समिति को बिना कारण बताये किसी भी समय ठेका निरस्त करने का अधिकार होगा।

02 इच्छुक ठेकेदार को प्रधान मण्डी स्थल दिल्ली रोड मेरठ की सम्पूर्ण क्षेत्र की सफाई व्यवस्था हेतु एवं अतिरिक्त फल सब्जी परिसर लोहियानगर हापुड रोड मेरठ की सफाई व्यवस्था हेतु अलग अलग टेण्डर देना होगा तथा टेंण्डर के साथ अपने पहचान–पत्र की छायाप्रति संलग्न करनी होगी।

03 इच्छुक ठेकेदार को टेंण्डर के साथ अपना चरित्र प्रमाण पत्र (जो जिलाधिकारी से जारी हो और छः माह से अधिक पुराना न हो), अनुभव प्रमाण पत्र तथा श्रम विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

04 इच्छुक ठेकेदार टेंण्डर फार्म कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में मण्डी समिति मेरठ कार्यालय में रू0 250/ एवं देय जी0एस0टी0 रू0 45/ कुल रू0 295/ जमा कर निविदा फार्म प्राप्त कर सकेंगे। प्रधान मण्डी स्थल दिल्ली रोड मेरठ की सफाई हेतु प्रतिभूति रू0 150000/ एवं अतिरिक्त फल सब्जी परिसर लोहियानगर हापुड रोड मेरठ की सफाई हेतु प्रतिभूति रू0 100000/ का बैंक ड्राफ्ट कृषि उत्पादन मण्डी समिति मेरठ के नाम से टेंण्डर फार्म के साथ जमा करेंगे।

05 प्रधान मण्डी स्थल दिल्ली रोड मेरठ की सम्पूर्ण क्षेत्र की सफाई हेतु 17 सफाई कर्मी, 02 ट्रेक्टर ट्राली मय चालक सहित लगाने होगें। मण्डी स्थल में इधर उधर पडे कूडे को एक स्थान पर एकत्रित कर कूडे का प्रति दिन निस्तारण कराना होगा जिसके लिए निर्धारित स्थल पर एकत्रित कूडे को जे0सी0बी0 मशीन एवं डम्फर के माध्यम से डम्पिंग ग्रांउड (लोहियानगर) में निर्धारित स्थल पर डालने की पूर्ण जिम्मेदारी सफाई ठेकेदार की होगी जिसके निस्तारण का प्रमाण पत्र प्रभारी परिसर के मण्डी निरीक्षक की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत कराने पर ही बिल स्वीकृत किया जायेगा।

06 अतिकिरक्त फल सब्जी परिसर लोहियानगर हापुड रोड मेरठ की सफाई हेतु कम से कम 04 सफाई कर्मचारी एवं एक भैंसा बुग्गी (एक ठेला) चालक सहित आदि अनिवार्य होगा। और प्रतिदिन कूडे को डम्पिंग ग्रांउड (लोहियानगर) में निर्धारित स्थल पर डालने की पूर्ण जिम्मेदारी सफाई ठेकेदार की होगी जिसके निस्तारण का प्रमाण पत्र प्रभारी परिसर के मण्डी निरीक्षक की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत कराने पर ही बिल स्वीकृत किया जायेगा।

07 निविदादाता द्वारा निविदा स्वीकृति के उपरान्त स्टाम्प अधिनियम के प्राविधानो के अर्न्तगत देय स्टाम्प शुल्क के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर कय कर ठेका अनुबन्ध उप निबन्धक, मेरठ कार्यालय में अपने स्वंय के व्यय पर पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा।

08 सफाई ठेकेदार को सफाई कार्य के लिये पर्याप्त संख्या में सफाई कर्मी लगाने के उपरान्त यदि सफाई कार्य/कूडा उठाने में कमी रहती है, तो ट्रेक्टर ट्राली के साथ जे.बी.सी. मशीन आदि लगाकर सफाई/कूडा निस्तारण का कार्य कराना होगा जिसके लिए ठेकेदार को कोई अतिरिक्त धनराशि समिति द्वारा भुगतान नहीं की जायेगी, सफाई कार्य हेतु रखे गये कर्मचारियों का नाम, पता एवं फोटो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व देना होगा। निर्धारित सफाई कर्मचारियों की संख्या से कम कर्मी पाये जाने पर सफाई बिल से अनुपातिक कटौती कर ली जायेगी।

09 सफाई कार्य हेतु रखे गये सफाई कर्मियों को श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरों/वेतन का भुगतान करना सफाई ठेकेदार का दायित्व होगा। सफाई कार्य के लिये कोई भी बाल श्रमिक नही रखा जायेगा।

10 अपने–अपने परिसर में स्थित नालियों एवं शौचालयों में प्रतिदिन नियमित सफाई कर मूत्रालयों एवं शौचालयों में फिनायल एवं नालियों और सडको के किनारे सप्ताह में दो बार चूना डालना अनिवार्य होगा।

11 इसमें अपने–अपने परिसर में स्थित नालियॉ, सैप्टिक टैंक एवं रिक्त स्थानो की सफाई के कार्य भी सम्मिलित रहेगे।

12 निविदादाता द्वारा सन्तोषजनक सफाई कार्य न कराने की स्थिति में या कार्य करने पर उक्त कार्य दिवस की ठेका धनराशि उक्त माह के बिल से कटौती कर ली जायेगी।

13 निविदादाता द्वारा माह के अन्त में प्रस्तुत करने वाले बिल पर प्रत्येक परिसरों के अध्यक्ष/मंत्री की सील एवं हस्ताक्षर सहित अनुशंसा सफाई एवं कूडा निपटान कार्य सन्तोषजनक होने के सम्बन्ध में प्राप्त करनी

होगी तथा अपने–अपने परिसर में तैनात मण्डी निरीक्षक/सैक्टर प्रभारी से भी सन्तोषजनक प्रभारी कार्य की संस्तुति प्राप्त कर बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा।

14 निविदादाता द्वारा सफाई कार्य एवं कूडा निपटान के लिये आवश्यक समस्त सामग्री यथा झाड़ू, टोकरे फावडे, चूना एवं कूडा उठाने के लिये ट्रेक्टर ट्राली आदि की व्यवस्था अपने स्वयं के व्यय पर करनी होंगी

15 सफाई कार्य एवं कूडा निपटान कार्य के किसी भी स्तर से किये गये निरीक्षक में कमी पाये जाने पर अथवा इस सम्बन्ध मे प्राप्त शिकायतें सही पाये जाने पर मण्डी समिति मेरठ को यह अधिकार होगा कि उस माह के बिल में से अनुपातिक कटौती करने अथवा प्रतिभूति के रूप में जमा धनराशि को समिति के पक्ष में जब्त कर ठेका निरस्त करते हुए दूसरे न्यूनतम दर दाता को अवसर प्रदान करें।

16 सफाई ठेकेदार को अपने सभी सफाई कर्मी ट्रेक्टर चालक सहित की उपस्थिति पंजिका चैक पोस्ट नम्बर 01 पर अनुरक्षित करनी होगी, चैक पोस्ट प्रभारी द्वारा की जांच रिपोर्ट के आधार पर ही सफाई कर्मियों की उपस्थिति मानी जायेगी।

17 मण्डी स्थल में सम्बन्धित ठेकेदारों द्वारा अपने–अपने सफाई क्षेत्र में सप्ताह में एक बार मच्छर नाशक दवा का छिडकाव कराया जाना आवश्यक होगा जिस पर होने वाला व्यय ठेकेदार द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

18 प्रत्येक माह में मण्डी स्थल की नालियों की सफाई एवं कूडा कचरा का निदान करने हेतु दो बार अभियान चलाकर कार्य ठेकेदार द्वारा कराया जायेगा।

19 प्रथम बिल प्रस्तुत करते समय ठेकेदार को अपने आयकर विभाग की पैन नम्बर की छायाप्रति बिल सहित कार्यालय में देनी होगी। बिल का भुगतान ठेकेदार को करते समय उस पर देय टी0डी0एस0 एवं अन्य कटौतियॉ नियमानुसार प्रचलित दरों पर की जायेगी।

20 सफाई सम्बन्धी अन्य कार्य जो परिसर को साफ सुथरा रखने की दृष्टि से सचिव मण्डी समिति द्वारा सौंपे जायेंगे। ठेकेदार द्वारा सम्पन्न कराने होंगे। कार्यालय में उपयोग हेतु फिनायल, तेजाब, झाड़ू, आदि ठेकेदार को प्रतिमाह देनी होगी।

21 सफाई कार्य के दौरान सफाई कर्मी के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने की दशा में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को मुआवजा/हर्जे–खर्चे का भुगतान का दायित्व मण्डी समिति को नहीं होगा। सभी केन्द्रीय/प्रान्तीय/स्थानीय कर सफाई ठेकेदार द्वारा ही देय होंगें।

22 आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

23 नगर निगम मेरठ से नवीन मण्डी स्थल दिल्ली रोड के परिसरों एवं अतिरिक्त फल सब्जी परिसर हापुड मेरठ के परिसर की सफाई कराने के सम्बन्ध में पत्राचार चल रहा है यदि नगर निगम सहमत हो जाता है तो उक्त ठेकों को निरस्त कर दिया जायेगा तथा निविदा दाताओं का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

24 नवीन मण्डी स्थल दिल्ली रोड मेरठ की सफाई व्यवस्था हेतु मानक के अनुरूप गुणवत्ता बनाये रखने के दृष्टिगत प्रतिमाह आगणित धनराशि रू0 299720/ (जी0एस0टी0)सहित तथा अतिरिक्त फल सब्जी परिसर लोहियानगर की आगणित धनराशि रू0 71390/ (जी0एस0टी0)सहित के 15 प्रतिशत से न्यूनतम ई–टेण्डर स्वीकार नहीं किया जायेगा। वह निविदा स्वयं निरस्त मानी जायेगी।

सचिव
कृषि उत्पादन मण्डी समिति
मेरठ।